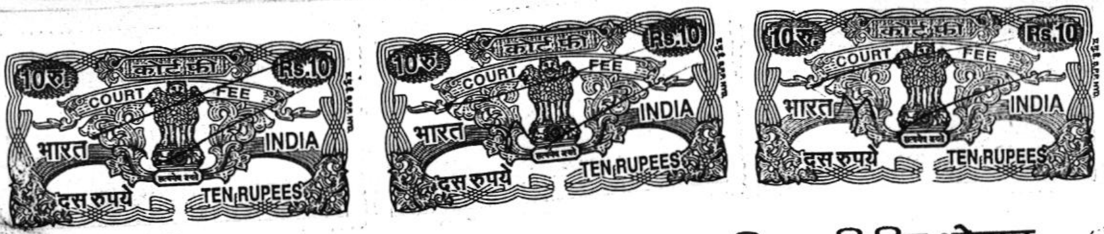

समक्ष न्यायालय राजस्व मंडल, म.प्र., ग्वालियर, शिविर भोपाल

R 792 PB 2017

प्र0क्र0 : निगरानी............../17 राजगढ़

हजारी लाल दत्तक पुत्र स्व0श्री देवी लाल
(पुत्र स्व0श्री गिरधारी लाल) आयु–60 वर्ष,
निवासी–ग्राम मेहरीछोटी, तह0–सारंगपुर
जिला राजगढ़ (म0प्र0) ––– **निगरानीकर्ता**

विरूद्ध

(50)

(1) **कालीबाई** पुत्री स्व0श्री देवी लाल
पत्नि श्री मुन्ना लाल, आयु 50 वर्ष,
निवासी–ग्राम दयाखेड़ी, तह0–सारंगपुर
जिला राजगढ़ (म0प्र0)

(2) **धापूबाई** पुत्री स्व0श्री देवी लाल
पत्नि श्री रामेश्वर, आयु 47 वर्ष,
निवासी–ग्राम निपान्यातुला, तह0–सारंगपुर
जिला राजगढ़ (म0प्र0)

(3) **चम्पीबाई** पुत्री स्व0श्री देवी लाल
पत्नि श्री मोड़ सिंह, आयु 45 वर्ष,
निवासी–ग्राम छापीहेड़ा, तह0–खिलचीपुर
जिला राजगढ़ (म0प्र0) ––– **प्रत्यर्थीगण**

अभिभाषक श्री...महरबान सिंह... द्वारा आज दिनांक...22/11/... को पेश। हस्ताक्षर

निगरानी अंतर्गत धारा–50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता–1959

महोदय,

विद्वान अनुविभागीय अधिकारी महोदय, सारंगपुर द्वारा प्र0क्र0–42/अपील/अ–6/15–16 में पारित आदेश दिनाँक 17.01.2017 जिसके द्वारा उन्होंने प्रत्यर्थीगण का आवेदन अंतर्गत धारा–5 समयावधि विधान अधिनियम का स्वीकार किया से दुःखित एवं असंतुष्ट होकर यह निगरानी समयावधि में प्रस्तुत है।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रकरण में विवादित सम्पत्ति खाता क्र0–59 कुल किता 09 रकबा 4.932 हे0 एवं खाता क्र0–60 कुल किता 10 रकबा 8.144 हे0 सह भूमि स्वामी स्वत्व पर स्व0श्री देवी लाल पिता श्री लक्ष्मण एवं उनके

निरंतर...2...

XXXIX(a)-BR(H)-11

10

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R 792-PBR/17 जिला राजगढ़

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
11/9/18	आवेदक अभि० श्री मेहरबान सिंह उपस्थित। अनावेदक अभि० श्री प्रो० पी० डी० उपस्थित। प्रकरण में तर्क सुने। आदेशार्थ। सदस्य	
16/10/18	प्रकरण आदेश। प्रस्तुत हुआ। अवलोकन किया गया। यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी सारंगपुर जिला राजगढ़ के प्रकरण कमांक 42 अ–6/15–16 अपील में पारित अंतरिम **आदेश** दिनांक 17–1–2017 के विरूद्व म0प्र0 भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। 2/ निगरानी मेमो के तथ्यों एंव अनुविभागीय अधिकारी सारंगपुर जिला राजगढ़ के अंतरिम **आदेश** दिनांक 17–1–2017 के कम में अनुविभागीय अधिकारी सारंगपुर जिला राजगढ़ के प्रकरण कमांक 42 अ–6/15–16 अपील के अवलोकन पर पाया गया कि अनुविभागीय अधिकारी ने प्रकरण का अंतिम निराकरण आदेश। दिनॉक 11–4–2017 से कर दिया है और अनुविभागीय अधिकारी का आदेश दिनांक 11–4–17 अपील योग्य है जिसके कारण विचाराधीन निगरानी सुनवाई योग्य नहीं रहने से गुणदोष पर विचार किये बिना इसी–स्तर पर समाप्त की जाती है। सदस्य	

[कृ. प. उ.